

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते ईतजार तलबी हेतु दिनांक 26/04/24 को पेश हो।	
	26/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 26/6/24 को पेश हो।	
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/6/24 को पेश हो।	
	28/6/24	पत्रावली पेश हुई। PO माहब बैरे/ अन्य कारणों के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 5/7/24 को पेश हो।	
	5/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते ईतजार तलबी हेतु दिनांक 24/7/24 को पेश हो।	
	22/7/24	पत्रावली पेश हुई। PO माहब बैरे/ अन्य कारणों के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 01/08/24 को पेश हो।	
	01/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना अधिवक्ता अज्ञात संख्या 1 व 2 के विरुद्ध भूखवाद में एकतरफा कार्यवाही अगल में लाई जा चुकी है अतः उक्त प्रार्थना पत्र में	

# फर्द अहकाम

थनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
-------------	---------------------------	----------------------	-------

भी भूजमी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लई जा रही है। प्राचीन भाधिवक्ता की ज्ञापन अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय खटस खुनी गई।

पत्रावली पट उपलब्ध रिपोर्ट की अवलोकन करने एवं प्राचीन भाधिवक्ता द्वारा केशराने खटस जादिर तज्जो पट मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी भूमि ख.न. 579, ख.न. 580, 581, 582 एवं 584 कुल किताना 5 कुल रकबा 0.8100 हेक्टर क्षितिगात्र गठ वदखील तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उन्नयपदों की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से यांबद किया जाता है कि उन्नयपद अक्त आराजी भूमि पर ताफैदका वाद के मोते व रिपोर्ट की. यमास्वितरी बनाये रखें।

पत्रावली नम्बर से कम घेकर दाखिल फुतर ही।

लल नु